न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

ग्यारसीराम बनाम धूलीलाल

प्रकरण संख्या :- 121/15

1. ग्यारसीराम पिता घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
2अमर सिंह पिता घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
3. सरदारी बाई पुत्री प्यारी पिता भवरलाल जाति तंवर निवासी छान का पुरा तह०मनो०थाना
4. धूलीलाल माता प्यारी पिता भवरलाल जाति तंवर निवासी गुवाड़ी तहसील मनोहरथाना

..... वादी

1 धूलीलाल पिता घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
2. बापूलाल पिता घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
3. चैनसिंह पिता घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
4. अमरी पुत्री घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
5. धापूबाई पुत्री घीसा (फ़ौत)
5.1 फूल सिंह माता धापू बाई पिता रामलाल जाति तंवर निवासी पीथापुरा तह०मनो०थाना
5.2 प्रेम सिंह माता धापू बाई पिता रामलाल जाति तंवर निवासी पीथापुरा तह०मनो०थाना
5.3 लीलाबाई माता धापू बाई पिता रामलाल जाति तंवर निवासी पीथापुरा तह०मनो०थाना
6. रोड़ी बाई पत्नी स्वर्गीय घीसा जाति तंवर निवासी पीथापुरा तहसील मनोहरथाना
रामचंद्र पिता गणेश जाति तंवर (लोढ़ा)निवासी पीथापुर तहसील मनोहरथाना
7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना
8. सीबीआई बैंक शाखा मनोहर थाना जरिये शाखा प्रबंधक

..... प्रतिवादी गण

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

13.3.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

दावा अंतर्गत धारा,91,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 I

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 13.03.2026

उपस्थित

श्री कैलाश चंद वैष्णव,अधिवक्ता वादी

1. वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 05.06.2015 को अंतर्गत धारा ,91, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:- ग्राम पीथापुरा तहसील मनोहरथाना के माल में खाता नंबर 45 पुरानी 50 की खसरा नंबर 390 की 10 बीघा 6 विस्वा आराजी वादीगण एवं खातेदार लक्ष्मण पुत्र सावला क़े खाते दर्ज है ।जिसकी नकल जमाबंदी संवत 2066-69 पेश की है। वादग्रस्त आरजी पूर्व में खातेदार घीसा पुत्र राम सिंह जाति लोढ़ा तंवर व लक्ष्मण जाति चमार निवासी पीथापुर के खाते दर्ज थी ।नकल जमाबंदी संवत 2033-36 पेश की है।

2. यह की वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2037 से 2040 में सेहवन से घीसा पुत्र राम सिंह के बजाय घीसा पुत्र सुंदर जाति लोढ़ा तंवर दर्ज हो गया है जो गलत है। घीसा पुत्र सुंदर की मृत्यु के पश्चात धूलीलाल, बापू लाल, चैन सिंह,अमरी,धापू,रोड़ी के नाम इंतकाल खोला गया जो की दुरुस्त होने योग्य है। घीसा पुत्र राम सिंह की मृत्यु हो चुकी है उसके जायज वारिस वादीगण एक लगायात तीन है । प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया कराया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराया जाए ।

3. वादी ने वादपत्र क़े साथ शपथपत्र, जमाबंदी संवत 2033-2036, नक़ल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग 1966-1986 तक, नकल इंतकाल संख्या 106, जमाबंदी संवत 2066

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

13.3.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

-2069 खसरा नंबर 390, मिलान क्षेत्रफल पेश किये है।

4. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिगण की तलबी की गई प्रतिवादीगण क़े बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई गई। वादी ने अपनी साक्ष्य मे ग्यारसी राम, अमरसिंह, क़े शपथ पत्रपेश किये। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में लिखे गए कथनों को ही दोहराया गया तथा उसी के अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने की प्रार्थना की।

5. हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का गौर पूर्वक अध्ययन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहन अवलोकन किया तथा इस वाद पत्र के सन्दर्भ में तथ्यों एवं विधिक प्रावधानो पर मनन किया। वादी द्वारा अंतर्गत धारा ,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया गया है। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचता है:

6. इस न्यायालय द्वारा वादपत्र, शपथपत्र, जमाबंदी संवत 2033–36, नकल जमाबंदी भू-प्रबंध विभाग 1966–1986, नकल इंतकाल संख्या 106, जमाबंदी संवत 2066–69 एवं मिलान क्षेत्रफल का सम्यक् एवं सूक्ष्म अवलोकन किया गया। साक्ष्य के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रमाणित होते हैं:-

(अ) जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में उक्त खसरा संख्या 390 की भूमि पर खातेदार घीसा पुत्र राम सिंह का नाम 1/2 हिस्से में स्पष्ट रूप से अंकित है।

(ब) जमाबंदी संवत 2037 से 2040 में खाता संख्या 22 में "घीसा पुत्र राम सिंह" के स्थान पर "घीसा पुत्र सुंदर" का नाम दर्ज हो गया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी अभिलेख से इस परिवर्तन का कोई वैध आधार, कोई न्यायिक

13.3.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

आदेश, कोई इंतकाल या कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः यह प्रविष्टि सहवन के कारण हुई विकृति है।

(स) घीसा पुत्र सुंदर की कालांतर में मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान – धूलीलाल, बापूलाल, चैनसिंह, अमरी, धापूबाई एवं रोड़ीबाई – के नाम उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर इंतकाल खोला गया, जो कि मूल त्रुटि पर आधारित होने से स्वयं भी दुरुस्ती योग्य है।

(द) घीसा पुत्र राम सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनके जायज वारिसान वादीगण हैं।

7. **न्यायलय क़े समक्ष उत्पन्न संदेह के बिंदुओं पर भी विचार किया गया**

(i) **विलंब का प्रश्न**: यह सत्य है कि वादग्रस्त प्रविष्टि संवत 2037 में हुई और वाद 2015 में दायर किया गया। तथापि, यह न्यायालय मानता है कि राजस्व रिकॉर्ड की सेहवन त्रुटि की दुरुस्ती का वाद एक सतत प्रकृति का वाद है। जब तक गलत प्रविष्टि विद्यमान है, वादी का अधिकार प्रत्येक दिन प्रभावित होता रहता है। ऐसी स्थिति में परिसीमा का सामान्य नियम कठोर रूप से लागू नहीं होता । यह सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के विभिन्न निर्णयों में भी प्रतिपादित है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं अशिक्षित काश्तकारों को राजस्व रिकॉर्ड की जटिलताओं की जानकारी तत्काल नहीं हो पाती, जो विलंब का स्वाभाविक कारण है।

(ii) **घीसा पुत्र सुंदर के वारिसान के नाम इंतकाल खुलने का प्रश्न**: चूँकि इंतकाल का आधार ही दोषपूर्ण प्रविष्टि है, अतः उस पर खोला गया इंतकाल भी स्वतः दोषपूर्ण माना जाएगा। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि "Ex dolo malo non oritur actio" – अर्थात् दोषपूर्ण आधार से कोई वैध अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता।

8. धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत इस न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड की गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने का पूर्ण अधिकार है। धारा 136

13.3.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को राजस्व रिकॉर्ड में सेहवन हुई त्रुटियों का परिशोधन करने की शक्ति प्रदत्त है। दोनों प्रावधानों को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण का दावा विधिसम्मत एवं साक्ष्य द्वारा पुष्ट है।

9. उपर्युक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधिक प्रावधानों के समग्र अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस सुनिश्चित निष्कर्ष पर पहुँचता है कि —जमाबंदी संवत 2037 से 2040 में खसरा संख्या 390 पर "घीसा पुत्र सुंदर" का नाम सेहवन एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज हुआ है, जिसका कोई वैध आधार उपलब्ध नहीं है। वास्तविक खातेदार घीसा पुत्र राम सिंह थे, जो जमाबंदी संवत 2033–36 से प्रमाणित है। वादीगण, घीसा पुत्र राम सिंह के जायज वारिसान के रूप में उक्त भूमि पर वैधानिक अधिकार रखते हैं।

-: आदेश :-

10. अतएव, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है: वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम पीथापुरा, तहसील मनोहरथाना, खाता संख्या 45 (पुरानी 50), खसरा संख्या 390 रकबा 10 बीघा 6 विस्वा में "घीसा पुत्र सुंदर" के स्थान पर "घीसा पुत्र राम सिंह" नाम की शुद्धि की जाए। उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर खोले गए समस्त इंतकाल निरस्त किए जाते हैं। घीसा पुत्र रामसिंह क़े जायज वारिसान यदि वादीगण क़े अतिरिक्त कोई और भी हो तो उनकी जाँच कर उनके नाम नामांतरण खोलने क़े आदेश दिए जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया

13.3.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना